UPAD010073512026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ई.सी.एक्ट), प्रयागराज।
उपस्थितः– अभय प्रताप सिंह–।, उच्चतर न्यायिक सेवा
J.O.CODE:– UP6315
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 2725/2026

मानवेंद्र सिंह उर्फ जेलर पुत्र उदय बहादुर सिंह, निवासी– कतवारूपुर, थाना– सरायइनायत, जनपद– इलाहाबाद।

.....प्रार्थी/अभियुक्त,

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....अभियोगी,

मु.अ.सं.– 40/2016
धारा–147, 148, 149, 336, 436,
323, 504, 307, 392, 427 IPC
थाना– सरायइनायत, जनपद–प्रयागराज।

दिनांक– 13.07.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त मानवेंद्र सिंह उर्फ जेलर की ओर से अपराध संख्या– 40/2016, धारा–147, 148, 149, 336, 436, 323, 504, 307, 392, 427 IPC थाना– सरायइनायत, प्रयागराज के मामले में जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थनापत्र के समर्थन में अभिनंदन सिंह पुत्र उदय बहादुर सिंह द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है– वादी मुकदमा हरिनारायण सिंह द्वारा दिनांक 12.02.2016 को थाना सरायइनायत में इस आशय की तहरीर दी कि प्रार्थी का पुत्र राज कुमार सिंह उर्फ रिन्कू ब्लाक बहादुरपुर से ब्लाक प्रमुख का प्रत्याशी था। समय करीब 4 बजे मतगणना हो रही थी कि अचानक जानकारी हुयी कि राज कुमार उर्फ रिन्कू ब्लाक प्रमुख का चुनाव जीत गये हैं। इस पर मैं और मेरा भतीजा विधायक हडिया प्रशान्त सिंह व हम लोगों के सहयोगी विधायक फूलपुर सईद अहमद, रविचन्द्र उर्फ बऊ यादव निवासी छतनाग, भूपेन्द्र सिंह उर्फ पिन्टू धरौली, राजू व माला सिंह निवासी बजहा, वैभव सिंह निवासी हंडिया, पप्पू चन्देल निवासी रघुपुर व हंडिया विधायक के गनर अवनीश सिंह व सुशील सिंह आदि लोग राज कुमार सिंह उर्फ रिन्कू के स्वागत में विनोद केसरवानी के घर के सामने सड़क पर खड़े थे जो मतगणना स्थल से 700 मीटर की दूरी पर था और विपक्षी अरूणेन्द्र यादव उर्फ डब्बू के हजारों की संख्या में समर्थक बीकापुर स्टेट बैंक के सामने जमा थे। अरूणेन्द्र यादव उर्फ डब्बू यादव के हारने की सूचना पाकर उनके समर्थक अमर सिंह यादव पुत्र स्व. मोहन लाल यादव, अशर्फी लाल यादव कैथवल जगतपुर तथा मानवेन्द्र सिंह जेलर तथा मदन सिंह पुत्रगण उदय बहादुर सिंह निवासी कतवारूपुर तथा महेन्द्र यादव पुत्र बृजलाल यादव एवं अजय यादव पुत्र गुलाब यादव निवासी बीकापुर, रवीन्द्र यादव पुत्र राज बहादुर यादव, निवासी दूल्हापुर धरौली, उमेश यादव पुत्र राजेन्द्र यादव निवासी बीकापुर, सरांय इनायत, इलाहाबाद, देवराज यादव पुत्र राम मूरत, राज यादव पुत्र नन्दलाल, जबर यादव पुत्र लक्ष्मण यादव, बबलू पुत्र शोभनाथ यादव निवासी नैका महीन, शिव मिलन यादव पुत्र जय नारायण यादव, मंगला यादव पुत्र रामचन्द्र यादव, राजेन्द्र यादव उर्फ राजा पुत्र राम हिन्छ, बनाफर यादव पुत्र रामराज यादव निवासीगण कोटवां, भोलानाथ यादव पुत्र राजाराम यादव, राजेश यादव पुत्र लाल चन्द्र यादव, उमेश यादव पुत्र राजेन्द्र बहादुर यादव निवासी बीकापुर व अशोक निषाद पुत्र श्री महंगू निषाद, प्रेम चन्द्र व फूलचन्द्र निवासी बीकापुर, मुन्नू लाल पुत्र राम अधार यादव, अमरसिंह पुत्र मोहन लाल निवासी छतनाग, बाबा समोसा आदि लगभग सैकड़ों लोग अज्ञात उस भीड़ से निकलकर आये ओर विरोध में डब्बू यादव की हार से आक्रोशित होकर हम लोगों को गाली गुप्ता देते हुए पथराव करने लगे जिससे हम लोगों में से कई लोगों को चोटें आयी हैं। अपने बचाव में हम लोग विनोद केसरवानी के घर में छिप गये। जिनके घर की प्रथम तल की पिछली खिड़की से झांककर मदन जायसवाल के घर के बगल खडी अपनी चार पहिया वाहन नं. यूपी 70 सीएम/3479 एवं यूपी–32 एफके 6000 की सुरक्षा हेतु उधर देखा तो पाया कि हम लोगों पर हमला व पथराव करने वाले यह सभी हमलावर हम लोगों के गाड़ियों के पास जाकर तोड़ने लगे जिससे यूपी–70 सीएम / 3479 के ड्राइवर गंगाधर दुबे पुत्र राजकिशोर दुबे निवासी गोगांव जिला मिर्जापुर व वाहन संख्या

यूपी–32 एफके / 6000 XUV ड्राइवर अजय गौड़ पुत्र श्री मुन्नी लाल गौड़ निवासी चैथम लाइन्स थाना कर्नलगंज इलाहाबाद को गाड़ी से निकालकर मारने लगे ओर वाहन संख्या यूपी–70 सीएम / 3479 में रखा 30 हजार रूपये लूटना चाहा तो दोनों ड्राइवरों ने एक जुट होकर विरोध किया, इस पर हमलावरों ने ड्राइवर गंगाधर दुबे के हाथ से उपरोक्त रूपयों को लूट लिया और मेरे ड्राइवरों को जान से मारने की नियत से फायरिंग शुरू कर दी। दोनों ड्राइवर किसी तरह से जान बचाकर भागे। इसी बीच मौका पाकर हमलावरों ने हमारी उपरोक्त वाहनों में आग लगा दिया जो जलने लगे। जिसके कई प्रपत्र के साथ महत्वपूर्ण प्रपत्र लाइसेन्स में भतीजे विधायक प्रशान्त सिंह की राइफल पिस्टल, बन्दूक का लाइसेन्स विधान सभा का परिचय पत्र, वोटर आई कार्ड एवं प्रार्थी के पुत्र डा. विनोद सिंह की राइफल का लाइसेन्स था जो वाहन के साथ हम लोगों के सामने जलकर राखा हो गया। हमलावरों का यह कृत्य मैंने व मेरे सभी सहयोगियों ने विनोद केसरवानी के प्रथम तल के पिछली खिड़की से देखा है। बाद में पुलिस वाले व प्रशासनिक अधिकारी मौके पर आये जिसमें एस.एस.पी. इलाहाबाद, डी.एम. इलाहाबाद, सी.डी.ओ. इलाहाबाद सहित आदि अधिकारी भी मौजूद थे जिनसे सम्पर्क करने पर उपरोक्त अधिकारियों ने विनोद केसरवानी के मकान से निकालवाकर सरकारी वाहनों से हमको अपने जुनेदपुर आवास तक छुड़वाया। अतः श्रीमान् जी से अनुरोध है कि घटना की सूचना दे रहा हूं। उचित धाराओं में पंजीकृत कर उचित कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। वादी द्वारा दी गई उक्त तहरीर के आधार पर 25 नामजद व कई अज्ञात के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।

3. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र के अनुक्रम में तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोजन कथानक के अवलोकन व परिशीलन से स्पष्ट है कि उक्त प्राथमिकी राजनीतिक द्वेष से 25 लोगों को नामजद और 100 अज्ञात लोगो के खिलाफ दर्ज करायी गयी है जिसमे ब्लाक प्रमुख अमरेन्द्र उर्फ डब्बू को मुख्य प्रतिद्वंदी बनाया गया है और उक्त घटना मे किसी का कोई स्पेसिफिक रोल नही दिखाया गया है जो अभियोजन कथानक को संदिग्ध बनाता है। इसी घटना को लेकर तत्कालिक एस.ओ. सरायइनायत द्वारा मुकदमा अपराध सं.–37/2016 थाना सरायइनायत में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। जिसमे भी इन्ही नामजद अभियुक्तों को अभियुक्त बनाते हुए गंभीर धाराओ मे अभियोग पंजीकृत कराया गया है, जो इस बात का प्रमाण है कि एक ही घटना के बाबत दो एफ.आई.आर. पंजीकृत करायी गयी है जो राजनैतिक दबाव का प्रमाण है और विधि विरूद्ध है। उक्त प्रकरण में आरोप पत्र प्रेषित न्यायालय है और माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संज्ञान भी लिया जा चुका है। छेडछाड़ की कोई सम्भावना नही है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी से कोई पूंछतांछ नही हुई है और न ही जानकारी ली गयी है। प्रार्थी दूसरे मुकदमे में जेल में रहने के दौरान जमानत प्रार्थनापत्र दाखिल करने पर अभियोजन पक्ष द्वारा द्वारा प्रस्तुत आपराधिक इतिहास से जानकारी होने पर प्रार्थी स्वयं प्रार्थनापत्र लेकर विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए सहभागिता कर रहा है। प्रार्थी को राजनीतिक द्वेष से विभिन्न मुकदमो में फर्जी ढंग से फंसाया गया है, जिसमे वह उपस्थित होकर अपनी सहभागिता समय–समय पर सुनिश्चित कर रहा है। अभियोजन पक्ष के समस्त प्रपत्रों के अवलोकन से प्रार्थी का कोई रोल नही है उसे मात्र सामूहिक रूप से नामजद कर फर्जी फंसा दिया गया है। प्रार्थी के विरूद्ध प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष कोई भी साक्ष्य घटना मे शामिल होने का नही है उसे फर्जी फंसाया गया है। एक ही घटना के बाबत तत्कालीन थानाध्यक्ष सरायइनायत और वादी मुकदमा हरि नारायण सिंह द्वारा राजनीतिक गठजोड द्वारा उक्त फर्जी प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है जो फर्जी होने का प्रमाण है। संपूर्ण घटना मे फायर आर्म्स की किसी को कोई चोट नही है, जो स्वतः मे प्रमाणित करता है कि घटना फर्जी व निर्मित कर राजनैतिक दबाव मे दर्ज करायी गयी है। अभियोजन के कथानक के अवलोकन से प्रमाणित है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना से दो तीन दिन बिलम्ब से दर्ज करायी गयी है जिसका कोई स्पष्टीकरण नही है जिससे प्रमाणित है कि घटना फर्जी एवं राजनैतिक प्रभाव से दर्ज करायी गयी है जिसका वास्तविकता से कोई वास्ता व सरोकार नही है। प्रार्थी पूर्णतया निर्दोष है। प्रार्थी की जमानत प्रार्थनापत्र अधीनस्थ न्यायालय से खारिज हो चुका है खारिजा संलग्न प्रार्थनापत्र है। प्रार्थी का उक्त अपराध संख्या मे यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है इसके अलावा कोई अन्य जमानत प्रार्थनापत्र किसी भी न्यायालय या मा. उच्च न्यायालय मे उक्त अपराध संख्या मे न तो दाखिल है न ही विचाराधीन है और न ही निरस्त किया गया है। प्रार्थी मा. न्यायालय द्वारा प्रदत्त जमानत का दुरूपयोग नही करेगा। प्रार्थी मुकदमे के विचारण मे पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा तथा माननीय न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि उपस्थित अदालत रहेगा। प्रार्थी को जमानत पर रिहा करने की कृपा करें।

4. विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा जमानत का विरोध करते हुये कथन किया गया है कि अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद हैं और उनके द्वारा अन्य सह अभियुक्तों के साथ मिलकर वादी मुकदमा व उनके समर्थकों पर गाली–गुप्ता करते हुए पथराव करने व उनकी गाड़ियों को तोड़कर, जलाकर गंभीर आर्थिक व शारीरिक क्षति पहुंचाने व जान से मारने के आशय से फायर करने का

आक्षेप है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध कई अन्य मामलों का आपराधिक इतिहास है। मामले में विवेचनोपरान्त पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। जमानत प्रार्थनापत्र को निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

5. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्कों को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त के विरुद्ध यह अभियोग है कि उसके द्वारा अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा व उसके समर्थकों पर पथराव करने, उन्हें गालियां देने, गाड़ियों में तोड़फोड़ करने, जलाने, तीस हजार रूपये लूटने तथा जान से मारने की नियत से फायर किये जाने का आक्षेप है। पत्रावली में किसी भी प्रकार का विश्वसनीय चिकित्सीय प्रपत्र उपलब्ध नहीं है, जिससे किसी भी व्यक्ति को कोई गंभीर चोट आना दर्शित नहीं हो रहा है। प्रार्थी/अभियुक्त को मौके से गिरफ्तार नहीं किया गया है। अभियोजन की ओर से प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध प्रस्तुत प्रकरण के अतिरिक्त सात अन्य मामलों का आपराधिक प्रस्तुत किया गया है किंतु अभियुक्त की ओर से उक्त तर्क के समर्थन में यह कथन किया गया है कि सभी मामलों में वह जमानत पर है। प्रकरण में विवेचनोपरान्त आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। दौरान विवेचना आवेदक/अभियुक्त द्वारा विवेचना में असहयोग किये जाने कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 20.06.2026 से कारागार में निरूद्ध है।

अतः मामले के सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों तथा अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुण–दोष पर बिना कोई मत व्यक्त किये प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। तदनुसार अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त मानवेंद्र सिंह उर्फ जेलर की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र सं.– 2725/2026, संबंधित अपराध संख्या– 40/2016, धारा–147, 148, 149, 336, 436, 323, 504, 307, 392, 427 IPC थाना– सरायइनायत, प्रयागराज स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा मुबलिक 50,000/ (पचास हजार) रूपये की एक जमानत व समान धनराशि का व्यक्तिगत बन्धपत्र दाखिल करने पर निम्नलिखित शर्तों पर रिहा किया जाता हैः–

(1) प्रार्थी/अभियुक्त बन्धपत्र की शर्तों का कठोर पालन करेगा–

(क) प्रार्थी/अभियुक्त इस आशय के अधीन निष्पादित बन्धपत्र की शर्तों के अनुसार हाजिर होगा।

(ख) प्रार्थी/अभियुक्त उस अपराध जैसा, जिसको करने का उस पर अभियोग या संदेह है, कोई अपराध नहीं करेगा।

(ग) प्रार्थी/अभियुक्त उस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरण नहीं करेगा, धमकी या वचन नहीं देगा या साक्ष्य को नहीं बिगाड़ेगा।

(2) प्रार्थी/अभियुक्त यह बन्धपत्र भी दाखिल करेगा कि अभियुक्त विचारण के पूर्ण होने के छः माह के अन्दर यदि उच्चतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किसी अपील या याचिका में न्यायालय द्वारा नोटिस जारी होता है, तो न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

(3) प्रार्थी/अभियुक्त विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

(4) प्रार्थी/अभियुक्त इस आशय का भी एक बन्धपत्र दाखिल करेगा कि वह विचारण/साक्ष्य के दौरान जब भी कोई साक्षी हाजिर होगा, स्थगन नहीं लेगा। इस शर्त की अवहेलना होने पर न्यायालय को यह अधिकार होगा कि न्यायालय अभियुक्त के द्वारा जमानत की स्वतंत्रता के दुरूपयोग के कारण उसके विरूद्ध विधि सम्मत आदेश पारित करें।

दिनांक– 13.07.2026

(अभय प्रताप सिंह–I)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (ई.सी.एक्ट),
प्रयागराज।
J.O.CODE– UP6315

Digitally signed by ABHAY PRATAP SINGH
Date: 2026.07.16 13:21:51 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court